144

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.11.19

क्रमांक एफ 10–11/2019/16 :– ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संविदा श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) छत्तीसगढ़ नियम, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप–धरा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 17 में,–

(क) उप–नियम (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) धारा 7 की उप–धारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन पत्र प्ररूप–एक में, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल पर, जिसमें पंजीकरण चाही गई स्थापना अवस्थित है, ऑनलाइन किया जायेगा।"

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट स्थापना के पंजीकरण के लिये फीस का संदाय ई–पेमेंट द्वारा किया जायेगा।"

(ख) उप–नियम (3) का लोप किया जाये;

(ग) उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(4) आवेदक द्वारा उप–नियम (1) में निर्दिष्ट ई–आवेदन के प्रस्तुत किए जाने पर, स्वचालित पावती, उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट वेब–पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित होगी।"

145

2. नियम 18 में,–

(क) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये,, अर्थात्:–

"(1) धारा 7 की उप–धारा (2) के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, वेब–पोर्टल पर इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप–दो में सृजित होगा।"

(ख) उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(4) यदि किसी स्थापना के संबंध में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के विनिर्दिष्ट ब्योरे में कोई परिवर्तन हो, तो स्थापना का प्रमुख नियोजक छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल पर ऑनलाईन, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को ऐसे परिवर्तन होने के तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर परिवर्तन के ब्योरे तथा कारणों की सूचना देगा।"

3. नियम 19 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) यदि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कोई आवेदन पत्र सभी दृष्टि से पूर्ण ना हो, तो रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, प्रमुख नियोजक से उसमें ऐसे संशोधन करने की अपेक्षा, श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से, कर सकेगा, जिससे कि वह सभी दृष्टि से पूर्ण हो जाये।"

4. नियम 20 में, उप–नियम (1) में,–

(एक) शब्द "प्रमुख नियोजक से उतनी रकम" के पश्चात्, शब्द "ई–पेमेंट द्वारा" अन्तःस्थापित किया जाये;

(दो) शब्द "और ऐसी जमा की गई रकम की कोषागार रसीद प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा" का लोप किया जाये।

5. नियम 21 में,–

(क) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र प्ररूप–चार में, उस क्षेत्र, जिसमें स्थापना अवस्थित हो, जिसके संबंध में वह ठेकेदार हो, के अनुज्ञापन प्राधिकारी को छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जायेगा।

(ख) उप–नियम (2) में, शब्द "का प्रमाणपत्र संलग्न होगा" के स्थान पर, शब्द "प्रमाणपत्र की प्रति अपलोड की जायेगी" अन्तःस्थापित किया जाये;

146

(ग) उप–नियम (3) का लोप किया जाये;

(घ) उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(4) आवेदक द्वारा उप–नियम (1) में निर्दिष्ट ई–आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर, स्वचालित पावती, वेब–पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित होगी।"

(ङ) उप–नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(5) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर निक्षेप की प्रतिभूति और नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क का संदाय ई–पेमेंट द्वारा किया जायेगा।"

6. नियम 23 में, उप–नियम (2) में, खंड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(दो) आदेश में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख रहेगा तथा आवेदक को उसकी संसूचना छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जायेगी।"

7. नियम 24 में,

(क) उप–नियम (1) में, शब्द "जमा की जायेगी" के पूर्व, शब्द "ई–पेमेंट द्वारा" अन्तःस्थापित किया जाये;

(ख) नियम 24(1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"1(क) जहां आवेदक, अन्य कार्य के संबंध में अनुज्ञप्ति धारण कर रहा हो और वह अनुज्ञप्ति समाप्त हो चुकी हो, यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी का यह विचार हो कि उस अनुज्ञप्ति के संबंध में जमा प्रतिभूति की किसी राशि को, नियम 31 के अंतर्गत आवेदक को वापस किये जाने का निर्देश दिया जाना है, तो वह संलग्न प्ररूप पांच–क में उस प्रयोजन के लिये आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन करने पर, नई अनुज्ञा के लिए जमा की जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति की वापस की जाने वाली राशि को, आनलाईन समायोजित कर सकेगा तथा ऐसी दशा में, ऐसे समायोजन के बाद शेष राशि, यदि कोई हो, ई–पेमेंट के माध्यम से ही आवेदक को जमा करानी होगी।

(ग) उप–नियम (2) का लोप किया जाये;

147

8. नियम 25 में, उप–नियम (1) में, शब्द ''दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति'' के स्थान पर, शब्द ''इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित प्रत्येक अनुज्ञप्ति'' प्रतिस्थापित किया जाये।

9. नियम 26 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–
''धारा 12 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु भुगतान किया जाने वाला शुल्क एक रूपये प्रति श्रमिक प्रति माह होगी।''

10. नियम 27 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''27. **अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता**– नियम 25 के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, आवेदक द्वारा आवेदित अवधि, जिसके लिए निर्धारित फीस जमा कर दी गई है, तक के लिए प्रवृत्त रहेगी।''

11. नियम 28 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''28. **अनुज्ञप्ति में संशोधन**– नियम 25 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति में संशोधन, अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि, श्रमिक संख्या अथवा पते में परिवर्तन के लिए, आवेदक से निर्धारित प्रतिभूति राशि अथवा देय शुल्क ई–पेमेंट के माध्यम से जमा करते हुए श्रमिक सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है, संशोधन स्वतः सृजित होकर आवेदक को संसूचित होगा।''

12. नियम 29 का लोप किया जाये।

13. नियम 31 में,–

(क) उप–नियम (1) में, खण्ड (एक) में, शब्द ''अनुज्ञापन पदाधिकारी को'' के पश्चात, शब्द ''छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन'' अंतःस्थापित किया जाये।

14. नियम 33 में, उप–नियम (1) में, शब्द ''व्यक्तिशः प्रस्तुत की जायेगी या पंजीकृत डाक से'' के स्थान पर, शब्द ''छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के श्रमिक सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन'' अंतःस्थापित किया जाये।

15. नियम 38 का लोप किया जाये।

(148)

16. प्ररूप–पांच के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"प्ररूप पांच–क
(देखिये नियम 24 (1क))
प्रतिभूति राशि के समायोजन हेतु आवेदन

ठेकेदार का नाम एवं पता	पंजीयन कमांक एवं दिनांक	पूर्ववर्ती अनुज्ञप्ति की समाप्ति का दिनांक	क्या ठेकेदार की अनुज्ञप्ति निलंबित या निरस्त की गई
(1)	(2)	(4)	(4)

पूर्ववर्ती अनुज्ञप्ति के संबध में प्रतिभूति जमा का डिमांड ड्राफ्ट/ई–चालान का कमांक एवं दिनांक	पूर्ववर्ती प्रतिभूति जमा की राशि	नवीन संविदा पर अपेक्षित प्रतिभूति जमा, यदि कोई हो, का ई–चालान कमांक एवं दिनांक	स्थापना का पंजीकरण कमांक एवं दिनांक जिसके संबध में नवीन अनुज्ञप्ति मिली है.
(5)	(6)	(7)	(8)

प्रमुख नियोजक का नाम/पता	नये ठेका कार्य का विवरण	रिमार्क
(9)	(10)	(11)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पी0डी0 पुरबिया)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

(149)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22.11.19

क्रमांक 10–11/2019/16 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–11/2019/16, दिनांक .... का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

NOTIFICATION

No. F 10-11/2019/16 - In exercise of the power conferred by Section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the State Government hereby, makes the following amendment in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Chhattisgarh Rules, 1973[the same been previously published as required by sub-section (1) of Section 35 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 17,-

(a) for sub-rule (1) and (2), the following shall be substituted, namely :-

"(1) The application referred to in sub-section (1) of Section 7 shall be made online to the registering officer in Form I on the shramik sewa portal of the labour department of the Government of Chhattisgarh in which the establishment sought to be registered is located.

(2) The payment of fees for the registration of the establishment referred in sub-rule (1) shall be made by e-payment."

(b) sub-rule (3) shall be omitted;

(c) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely :-

150

"(4) On submission of e-application referred in sub-rule (1) by the applicant, an automated acknowledgement shall be generated electronically on the web-portal specified in the said sub rule."

2. In rule 18,-

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) the registration certificate given under sub-section 2 of Section 7 will be generated electronically on the web-portal, in Form II.

(b) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely :-

"(4) If in relation to an establishment, there is any change in the particulars specified in the certificate of registration, the principal employer of the establishment shall intimate to the registering officer online on the shramik sewa portal of labour department of the Government of Chhattisgarh within fifteen days from the date when such change takes place, the particulars of, and the reasons for, such change."

3. In rule 19, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely:-

"(1) If any application for registration is not complete in all respects the Registering Officer shall require the principal employer to amend

the application so as to make it complete in all respects on the shramik sewa portal. "

4. In rule 20, in sub-rule (1),-

(i) after the words "paid by principal employer", the words "by e-payment" shall be inserted;

(ii) the words "and to produce the treasury receipt showing such deposit" shall be omitted.

5. In rule 21,-

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) Every application by a contractor for the grant of a licence shall be made online in Form IV on the shramik sewa portal of labour department of the Government of Chhattisgarh to the Licensing Officer of the area in which the establishment, in relation to which he is the contractor, is located."

(b) in sub-rule (2), for the words "accompanied by a certificate", the words "accompanied by uploading a copy of the certificate" shall be inserted;

(c) sub-rule (3) shall be omitted;

(d) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) On submission of e-application referred to in sub-rule (1) by the applicant, an automated acknowledgement shall be generated electronically on the web-portal

(e) for sub-rule (5), the following shall be substituted :-

"(5) The deposit of security at the rates specified in rule 24 and the payment of fees at the rates specified in rule 26 in respect of the application referred to in sub-rule (1) shall be made by e-payment."

152

6. In rule 23, in sub-rule (2), for clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) The order shall record the reasons for the refusal and shall be communicated to the applicant online through shramik sewa portal of labour department of the Government Chhattisgarh."

7. In rule 24,-

(a) in sub-rule (1), before the words "shall be deposited", the words " by e-payment" shall be inserted;

(b) after sub rule (1), the following shall be inserted, namely:-

"(1A) Where the applicant is holding a license in regard to another work and that license has expired, the licensing officer, if he is of the view that any amount out of the security deposited in respect of that license is to be refunded to the applicant under rule 31, on online application made for that purpose in Form V-A annexed, by the applicant, adjust the amount online to be refund towards the security required to be deposited for the new license and the applicant is required to deposit, in such a case, only the balance amount, if any, after making such adjustment, through e-payment only."

(c) sub-rule (2) shall be omitted.

8. In rule 25, in sub-rule (1), for the words "every license granted" the words "every license generated electronically" shall be substituted.

9. In rule 26, for sub rule (2), the following shall be substituted, namely :-

"(2) The fees to be paid for the grant of a license under Section 12 shall be one rupee per workman per month. "

10. For rule 27, the following shall be substituted, namely :-

"27. **Validity of the License** - every license granted under rule 25 shall remain in force up to the period applied for and for which the fees is deposited by the applicant."

11. For rule 28, the following shall be substituted, namely :-

"**28. Amendment in license** - for amending the licence issued under rule 25, with respect to change in the validity period of licence, number of workers or change in address, the applicant is required to submit an application online with requisite security amount or fees payable online through e-payment on Shramik sewa portal the amendment shall be auto-generated and communicated to the applicant."

12. Rule 29 shall be omitted.

13. In rule 31,-

(a) in sub-rule (1), in clause (i), after the words "licensing officer", the words "online through shramik sewa portal of labour department of the Government of Chhattisgarh" shall be inserted.

14. In rule 33, in sub-rule (1), in clause (i), for the words "in person or sent to him by registered post", the words, "online through shramik sewa portal of labour department of the Government of Chhattisgarh" shall be substituted.

15. Rule 38 shall be omitted.

16. After FORM V, the following shall be added, namely:-

154

"FORM V-A
(See rule 24(1A)

APPLICATION FOR ADJUSTMENT OF SECURITY DEPOSIT

Name and address of the contractor	Number and date of licence	Date of expiry of previous licence	Whether the licence of the contractor was suspended or revoked
(1)	(2)	(3)	(4)

Number and date of the demand draft /e-challan of the security deposit in respect of the previous license)	Amount of the previous security deposit	Number and date of the e-challan of the balance of the security deposit, if any, required on the fresh contract	No. and date of the certificate of registration of the establishment in relation to which the new license is applied for
(5)	(6)	(7)	(8)

Name and address of the principal employer	Particulars of fresh contract	Remark
(9)	(10)	(11)"

By order and in the name of
Governor of Chhattisgarh

(P.D. Purbiya)
Deputy Secretary,
Govt. of C.G., Labour Deptt.

155

पृष्ठांकन 10–11/2019/16 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.11.19

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0),
2. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0),
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0),
4. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
5. उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0),
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0),
7. कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0),
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्राणालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

22/11/19
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग